FORM No. III — APP-A Crim=I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर — मुकाम

पेमा नायक

बनाम ठाकरा नायक

किस्म मुकदमा बटवारा — नं. 398/2012 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका जिसके वास्ते निर्णय दिनांक 3/3/2021 को पेश करे। sd/- सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर	
	3/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक 3/3/2021 को खुली अदालत मे सुनाया गया। sd/- सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर जिला-भीलवाड़ा	न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 398/2012

उनवान

1– पेमा पिता लालू जाति नायक निवासी बारणी तहसील आसीन्द

–वादी

बनाम

1– श्री गणेश पिता भारमल नायक मृतक के बजाय
1– पानी पत्नी गणेश नायक निवासी लक्ष्मीपुरा
2– गोदू पिता गणेश नायक निवासी लक्ष्मीपुरा (बारणी) तहसील आसीन्द
3– नारायण पिता गणेश नायक मृतक के बजाय
क– गायत्री पत्नी नारायण नायक
ख– लाली पुत्री नारायण नायक नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता गायत्री पत्नी नारायण नायक
ग– कोमल पुत्री नारायण नायक नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता गायत्री पत्नी नारायण नायक
घ– कमलेश पिता नारायण नायक नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता गायत्री पत्नी नारायण नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील आसीन्द।
4– मोहनी पुत्री गणेश नायक निवासी लक्ष्मीपुरा
5– बालू पिता गणेश नायक मृतक के बजाय
क– भवानी पिता बालू नायक निवासी बारणी
ख– कमली पुत्री बालू नायक निवासी सवाईगढ़
6– ईश्वर पिता गणेश नायक के बजाय
क– नन्दू पत्नी ईश्वर नायक
ख– रणजीत पिता ईश्वर नायक
ग– देवा पिता ईश्वर नायक
निवासीयान लक्ष्मीपुरा (बारणी) तहसील आसीन्द
7– सम्पत पिता गणेश नायक के बजाय
क– सन्तोषी पत्नी सम्पत नायक
ख– राजू पिता सम्पत नायक
निवासीयान लक्ष्मीपुरा (बारणी) तहसील आसीन्द

2– लक्ष्मण पिता छीतर गुर्जर निवासी रघुनाथगढ़ तहसील आसीन्द

–प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

उपस्थित :– श्री विवेक कुमार बम्ब , वकील वादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 03.03.2021

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी के मिलकियत मकबूजा की आराजी वाके ग्राम रघुनाथगढ़ पटवार हल्का संग्रामगढ़ तहसील आसीन्द के आराजी नम्बर 249 रकबा 0.77 हैक्टेयर, आ0नं0 856/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आ0नं0 257 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आ0नं0 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता–4 रकबा 1.42 हैक्टेयर स्थित हैं। वादी पिछले साल अकाल पड़ने की वजह से कमा खाने सहपरिवार बाहर चला गया तथा पुनः मई 2012 में आया तो अपने खेत पर देखने गया तो उपरोक्त आराजी में से आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ने कब्जा कर लिया तो वादी ने उसका ओलम्बा दिया तथा प्रतिवादीगण को विवादित खेत का कब्जा वादी को देने हेतु कहा तो उन्होंने कब्जा देने से मना कर दिया यह जमीन तो मेरी है और हम मालिक है इसके बाद वादी के द्वारा विवादित आराजीयात की स्थाई सीमा चिन्ह करवानें हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 189/2012 के रूप में दर्ज होकर दिनांक 13.06.2012 को विवादित आराजीयात के मौके के कब्जे की स्थिति यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये उसकी पालना भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का मौके पर आये तथा पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा तरतीब दिया तथा वक्त मौका पर्चा वादी व प्रतिवादी दोनों उपस्थित थें वादी को उक्त आराजीयात का नियमानुसार कब्जा लेने हेतु कार्यवाही करने की हिदायत दी गई।

2– प्रतिवादीगण का वादी की आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर व आ0नं0 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर से कोई हक हिस्सा व सरोकार वास्ता न होने हुए भी वादी की

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया जिसका उनको कोई हक अधिकार नहीं है। जबकि उक्त जमीन का मालिकाना हक वादी में निहित है इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर वादी के कब्जेयाबी की डिकी पारित करना न्याय हित में आवश्यक है। अगर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी की कब्जायाबी की डिकी पारित नहीं की गयी तो वादी को असहनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तथा प्रतिवादीगण वादी की सने-सने उक्त आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे जिससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा।

3— वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को वादी की आराजी नं0 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर व आ0नं0 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर किये गये जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक किये गये कब्जे को हटाने हेतु मई 2012 में निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ जाने एवं वादी की आराजीयात को जबरन हड़पने की नियत से कब्जा सुपुर्द करने से साफ मना कर दिया और वादी को अनाधिकार पूर्वक धमकी दी कि आईन्दा कभी भी आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 है0 व आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 है0 की तरफ मुंह किया तो तुम्हारे हाथ पैर तौड़ देंगें और अंजाम अच्छा नहीं होगा जबकि प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा करने व धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है।

4— वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ आराजी 259/485 रकबा 0.28 है0 व आ0नं0 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर से बेदखल कर पुनः कब्जा पाने का अधिकारी है तथा बाद बेदखली प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में जबरन कब्जा न करने एवं वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में एवं जबरन पुनः कब्जा न करने के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से न्याय हित में आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

5— प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज रूप से वादी की आराजीयात पर कब्जा कर लिये जाने की सुरत में प्रति 6 माही फसल की कृषि जिन्स का नुकसान हो रहा है जो कि राजस्व गिरदावरी के मुताबिक कब्जा करने की दिनांक से प्रति 6 माही की फसल का उपज की राशि जो करीब बीस

हजार रूपये वार्षिक होती है जो वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

6— अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर बेदखली की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल फरमाया जावें एवं वादी को काबिज करा कब्जा दिलाया जावें तथा उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजीयात पर बाद बेदखली किसी तरह का हस्तक्षेप स्वयं, नौकर, चाकर, एजेन्ट से नहीं करें, करावें तथा अन्य आराजीयात पर कोई अवरोध एवं बाधा उत्पन्न पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास नहीं करें व करावें। वादी को प्रतिवादीगण से प्रति फसल 20 हजार रूपये वार्षिक हर्जाना अथवा राजस्व गिरदावरी के अनुसार जो भी चार्ट में देय हो बतौर फसल हर्जाना के वादी को दिलाया जावें।

7— प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान पानी, गोदू, मोहनी, कमली, नन्दू, रणजीत, देवा, सन्तोषी, राजू बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 25.10.2019 एवं शेष वारिस गायत्री के विरूद्ध दिनांक 19.02.2020 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 27.05.2015 के पश्चात् उपस्थित नहीं हुआ।

8— चूंकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण में तनकी पर्चा मुर्तिब नहीं किया गया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र की ताहिद में पीडब्लु–1 पेमा के साक्ष्य स्वरुप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072, प्रदर्श–2 पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

9— तत्पश्चात वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। वादी अकाल पड जाने से कमा खाने सहपरिवार सहित बाहर गया हुआ था तथा पुनः मई 2012 में अपने गांव आया और खेत पर गया तो आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 1 गणेश का तथा आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण ने कब्जा कर रखा था तथा वादी के द्वारा कब्जा लेने हेतु निवेदन करने पर कब्जा छोडने के लिए प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए। वादी ने अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवायी तब मौका पर्चा से भी उक्त आराजीयात पर गणेश व लक्ष्मण का कब्जा पाया गया है। अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादी को भूमि का कब्जा दिलाये जाने के आदेश फरमावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाया जावें।

10— मैंने वकील वादी की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है—

11— वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 मौजा रूघनाथगढ़ पटवार हल्का संग्रामगढ़ तहसील आसीन्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 249, 256/486, 257, 259/485 कुल किता—4 रकबा 1.42 हैक्टेयर भूमि पेमा पिता लालू नायक साकिन बारणी के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है।

12— यहॉ वादी का कथन है कि उनकी आराजीयात की पत्थरगढी करवायी गयी जिसमें यह पाया गया कि आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी गणेश का व आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा कब्जा कर रखा है। अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा प्रदर्श 02 मौका पर्चा दिनांक 05.11.2012 को प्रदर्श करवाया गया। मौका पर्चा दिनांक 05.11.2012 का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा अनुसार गिरदावर आसीन्द व पटवारी हल्का संग्रामगढ़ के द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा रूघनाथगढ़ की आराजी नम्बर 249, 256/486, 257, 259/485

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बनेड़ा (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

कुल किता– 4 रकबा 1.42 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की गयी। उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर गणेश पिता भारमल नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तथा आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर लक्ष्मण पिता छीतर गुर्जर निवासी रूघनाथगढ का कब्जा होना प्रकट आया है। चुंकि वादग्रस्त आराजीयात वादी के खातेदारी की आराजीयात है जिसमें प्रतिवादी गणेश व लक्ष्मण का कोई हक अधिकार हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी गणेश पिता भारमल नायक तथा आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी लक्ष्मण पिता छीतर गुर्जर के द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमी की हसीयत से काबिज है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::निर्णय::–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा रूघनाथगढ़ पटवार हल्का संग्रामगढ़ तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 259/485 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 गणेश पिता भारमल नायक के वारिसान तथा आराजी नम्बर 256/486 रकबा 0.10 हैक्टेयर से लक्ष्मण पिता छीतर गुर्जर को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सिपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी की आराजीयात में कब्जा करने कराने से रूके रहें। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा